

6794

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.

25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

3138739

DEPT 9147

DEPT 1015



विक्रय पत्र नगरीय भूखण्ड

विक्रय पत्र

31,65,000 /- रुपये।

सर्किल से मालियत

31,65,000 /-रुपये।

स्टाम्प शुल्क

1,38,600 /-रुपये।

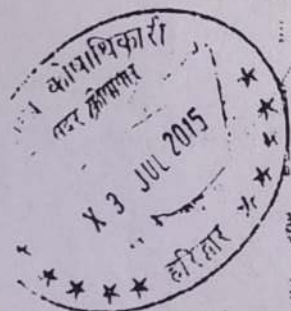
विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल

181.06 वर्गमीटर।



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

221464



सर्किल दर

(2)

सर्किल रेट के पृष्ठ 6 क्रमांक नं0
5 (ड) 23, के अनुसार सर्किल दर
अंकन 15,200 /-रुपये प्रति
वर्गमीटर से भूमि की मालियत
अंकन 27,52,112/- रुपये,
सम्पत्ति 5 मीटर से 12 मीटर
चौड़े रास्ते के मध्य स्थित होने के
कारण 15 प्रतिशत अतिरिक्त से
मालियत अंकन 31,64,929/-
रुपये अर्थात् अंकन
31,65,000/- रुपये, केला
महिला पर अंकन 15,83,000/-
रुपये पर 3.75 प्रतिशत की दर
से अंकन 59,363/- रुपये व
अंकन 15,83,000/- रुपये पर 5

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

221779

(3)

प्रतिशत की दर से अंकन
79,150/- रुपये अर्थात् कुल
अंकन 1,38,600/- रुपये का
स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

स्थित

मीना एन्कलेव निकट योगी विहार
ज्वालापुर ग्राम अहमदपुर कडच्छ
(अन्दर सीमा नगर निगम हरिद्वार)
परगना ज्वालापुर तहसील व जिला
हरिद्वार। जिसका सम्बन्धित खसरा
नं० 689 है।

विदित हो कि निम्नलिखित आवासीय सम्पत्ति मकान जिसकी मैं
विक्रेता श्रीमति मीता जौहर पत्नि श्री मानव जौहर निवासी 104/38
देहरादून रोड ऋषिकेश तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून द्वारा
मुख्तोआम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर 104/38 देहरादून
रोड ऋषिकेश तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून (विक्रेता)

4/11

22/11/18

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

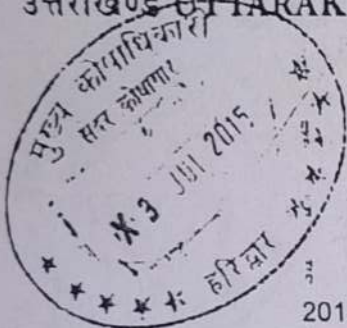
Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

221369



(4)

मालिक स्वामी व अधिकारी हूँ। मुख्तारनामा आम दिनांकित 05.04.2014 जिसकी रजिस्टरी वही नं० 4 जिल्द 55 पृष्ठ 233 से 240 दस्तावेज नं० 29 दिनांकित 07.04.2014 उप-निबन्धक कार्यालय टिहरी में दर्ज है। मुख्तारनामा आम आज तक वैध एवं प्रभावी है निरस्त नहीं किया गया है। यह सम्पत्ति मुझ विक्रेता ने द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2014 जिसकी रजिस्टरी वही नं०-1 जिल्द 2008 पृष्ठ 01-18 दस्तावेज नंबर 10117 पुर दिनांक 30.08.2014 को कार्यालय उप निबन्धक हरिद्वार में दर्ज है, जो श्री विकास गुलाटी पुत्र श्री मनमोहन लाल गुलाटी निवासी ए-53, आदर्श नगर ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार से कय किया है। जिसकी मैं विक्रेता स्वामी, मालिक काबिज व अधिकारी होने के कारण मुझ विक्रेता को निम्नलिखित सम्पत्ति मकान को विक्रय आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित मकान आज तक के हर प्रकार के ऋण परिवर्तन आदि के भार से शुद्ध एवं मुक्त है, किसी प्रकार के विवाद या मुकदमेबाजी से ग्रस्त नहीं है। मैं विक्रेता निम्नलिखित मकान को विक्रय करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ।

५५

10.11.17



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

193267

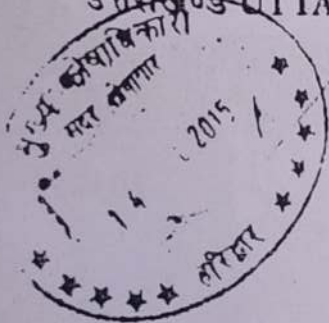
(5)

अब विक्रेता ने अपने निम्नलिखित प्लॉट को अपनी स्वस्थ इन्द्रियों तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से मय हर प्रकार के स्वत्व व अधिकारों के बदले अंकन 31,65,000/- इकत्तीस लाख पैंसठ हजार रुपये में हाथ श्रीमति संगीता तोमर पत्नि श्री सुनील तोमर व श्री सुनील तोमर पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी गण दयानन्द नगरी जवालापुर तहसील व जिला हरिद्वार (क्रेतागण), को विक्रय व हस्तान्तरित कर दिया है। कब्जा मौके पर निम्नलिखित विक्रीत सम्पत्ति प्लॉट पर क्रेतागण का करा दिया है। वह उसमें अपने लाभ के लिए कोई भी कार्य करे, विक्रय आदि करे निर्माण आदि करे और लाभ उठावे। अब विक्रेता यह प्रतिज्ञा करती है और लिखे देती है कि आज से मुझ विक्रेता व उसके उत्तराधिकारियों का निम्नलिखित विक्रीत प्लॉट के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। यदि भविष्य में विक्रेता के किसी स्वत्व या कानूनी त्रुटि के कारण या किसी के वाद-विवाद के कारण निम्नलिखित विक्रीत प्लॉट या उसका कोई अंश कब्जा व दखल क्रेतागण के अधिकार से निकल जावे या उसे कोई भार चुकाना पड़े या



उत्तराखण्ड-UTTARAKHAND

193351



(6)

कब्जा आदि में कोई रुकावट उत्पन्न हो तो ऐसी हर एक अवस्था में क्रेतागण को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल मूल्य राशि मय सूद वैधानिक विक्रेता की हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति व जात खास व जायदाद से जिस प्रकार चाहे द्वारा न्यायालय वसूल कर ले।

for

Sanjita



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

907022

(7)

विक्रेता व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रेता प्रत्येक कानूनी जिम्मेदारियों का जिम्मेदार है जो कानूनन एक विक्रेता पर आयद होती है। निम्नलिखित प्लॉट से सम्बन्धित कोई वाद-विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। निम्नलिखित प्लॉट किसी धार्मिक संस्था या ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रेता व क्रेतागण के मध्य निम्नलिखित प्लॉट की बाबत कोई इकरारनामा रजिस्टरी नहीं किया हुआ है। विक्रेता व क्रेतागण भारतीय नागरिक हैं। उत्तरांचल भू-अधिनियम संख्या 29/2003 प्रभावी नहीं है।

1/10

1/10



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

H 44477

(8)

विवरण सम्पत्ति:—एक आवासीय प्लॉट नं० 4, जिसकी पैमाईश पूरव 19.81 मीटर, पश्चिम 19.81 मीटर, उत्तर 9.14 मीटर व दक्षिण 9.14 मीटर, जिसका कुल क्षेत्रफल 181.06 वर्गमीटर है। जिसके पूरव में प्लॉट नं० 3, पश्चिम में प्लॉट नं० 5, उत्तर में रास्ता 9 मीटर चौड़ा, दक्षिण में भूमि अन्य व्यक्ति है। जिसका सम्बन्धित खसरा नं० 689 है। स्थित मीना एन्कलेव निकट योगी विहार ज्वालापुर ग्राम अहमदपुर कडच्छ (अन्दर सीमा नगर निगम हरिद्वार) परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार में है।

1/1/1

1/1/1



(9)

विवरण प्राप्त मूल्य राशि:- मुझ विक्रेता ने क्रेतागण से कुल मूल्य राशि अंकन 31,65,000/- रुपये में से अंकन 50,000/- रुपये द्वारा बैंक नं० 588051 दिनांक 06.06.2015 Dena Bank, Haridwar व अंकन 31,15,000/- रुपये द्वारा डी०डी० नं० 361681 दिनांक 23.07.2015 Dena Bank, Haridwar से आज प्राप्त कर लिया है, पश्चात रजिस्टरी क्रेतागण की ओर कोई मूल्यराशि वकाया नहीं रहेगी। क्रेतागण ने उक्त सम्पत्ति Dena Bank, Haridwar से वित्त पोषण प्राप्त कर क्रय की है।

hfl

Somita



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1,000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

R 725479

(10)

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स
विक्रेता की अंगुलियों के निशान



अंगुठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



1/1

1/1

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



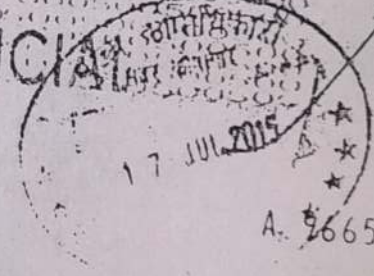
FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



(II)

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स
क्रेता नं० 1 की अंगुलियों के निशान



अंगुठा



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठका





उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 192174

(13)

अतः यह विक्रय पत्र, अपनी स्वेच्छा से, खूब सोच-समझकर **समझाकर JUL 2015**
गवाहान के सामने लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।
तहरीर तारीख:- 23.07.2015 ई०

ह०-

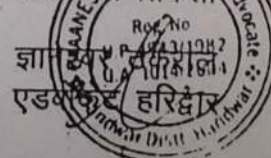
सा०- Ravi Kumar
रवि कुमार पुत्र श्री महेन्द्र
पाल सिंह निवासी मकान नं०
783, दयानन्द नगरी ज्वालापुर
हरिद्वार
प०पत्र सं०- MQT5053467

टाईपकर्ता

ह०-

सा०- Ravi Singh
रवि बिष्ट पुत्र श्री भोपाल सिंह
बिष्ट निवासी हिमगिरी कालोनी
बंगाली हास्पिटल कनखल
हरिद्वार
DL no. UK-0820100038320

रचयिता व गवाहों की शिनाख्त पर
फोटो प्रमाणितकर्ता



337 21-7-15 55
355

बही संख्या 1 जिल्हा 2,327 के पृष्ठ 221 से 248 पर क्रमांक 6794

पर आज दिनांक 23 Jul 2015 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, हरिद्वार, द्वितीय
23 Jul 2015